राजस्थान–सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा।

क्रमांकःप.32/( )/क्रय–1/कोटेशन के लिए अनुरोध–04/2019–20/ 759 दिनांकः 20/2/20

कोटेशन के लिए अनुरोध संख्या 04/2019–20

इस विभाग/कार्यालय को निम्नांकित सामग्री/कार्य/सेवाओं की आवश्यकता है । राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक सामग्री/कार्य/सेवाओं के लिए उनके सम्मुख क्रय करने हेतु अंकित तिथि एवं समय तक समस्त थोक विक्रेताओं/उत्पादकों/विनिर्माताओं/मूल उपकरण विनिर्माताओं/एक मात्र वितरकों/एक मात्र विक्रेता/ विपणन एजेन्ट / उप वितरकों / प्राधिकृत डीलरों / विनिर्माताओं की खुदरा दुकानों/प्राधिकृत स्टाकिस्टों/खुदरा विक्रेताओं/अधिकृत सेवा केन्द्रों/सेवा प्रदाताओं तथा बोली लगाने वाले सद्भावी डीलरों से सीलबन्द लिफाफे में कोटेशन के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। सामग्री/कार्य/सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	स्पेसिफिकेशन ऑफ रिपेयर कार्य	प्रत्येक आईटम प्रति की अनुमानित लागत	कुल अनुमानित लागत	अन्य विवरण	
						कोटेशन प्राप्त करने की तिथि व समय	केटेशन खोलने की तिथि व समय
1	चेयर केन	70	केनिंग	100/– रू	7000/– रू	24.02.2020 प्रातः 10 बजे से दिनांक 02.03.2020 सांय 5. 00 बजे तक	03.03.2020 को बाद दोपहर 03.00 बजे
2	चेयर ब्लेक कवर	20	कुशन	200/– रू	4000/– रू	–यथा–	–यथा–
3	चेयर ब्लू कवर	15	कुशन	200/– रू	3000/– रू	–यथा–	–यथा–
4	स्टूल	80	टॉप एवं स्क्रू	100/– रू	8000/– रू	–यथा–	–यथा–
5	टेबल	01	टेबल टॉप	300/– रू	300/– रू	–यथा–	–यथा–
	कुल योग राशि				22,300/– रू		

बोली की अन्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

01. निविदादाता उक्त आईटमस् का निरीक्षण माईक्रोबायोलोजी विभाग में कर सकते है व सामग्री / कार्य / सेवाओं की संख्या/मात्रा घटाई –बढाई जा सकती है।
02. बोली में भाग लेने वाली फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
03. सील बन्द बोली प्रधानाचार्य के कार्यालय में **दिनांक 02.03.2020 को सांय 05.00 बजे** तक व्यक्तिगत रूप से दी जा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है अथवा उक्त अवधि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। बिड दिनांक 03.03.2020 को 03.00 बजे अपरान्ह उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।
04. बोली में दरें स्पष्ट अंकित करें। किसी भी कटिंग/ओवरराईटिंग पर लघुहस्ताक्षर करें अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी।
05. **दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जावें। विभिन्नता की स्थिति में शब्दों में लिखी हुई दरें मान्य होंगी जो कि RTPP Rule - 2013 के नियम 64 के अन्तर्गत निर्णयाधीन होंगी।**
06. **दरों में किसी भी प्रकार के करों को सम्मिलित नहीं किया जावे। दरें FOR चिकित्सा महाविद्यालय कोटा प्रस्तुत करनी है जिसमें GST के अतिरिक्त सभी चार्जेज सम्मिलित होंगें।**
07. **निविदत्त दरों के इतर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किसी भी आधार पर नहीं किया जावेगा।**
08. निर्धारित अवधि तक प्राप्त बोलियों को क्रय समिति द्वारा दिनांक 03.03.2020 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थित बोली दाताओं/उनके उपस्थिति प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।
09. निर्धारित अवधि एवं समय पश्चात प्राप्त होने वाली बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. क्रय योग्य आइटम्स की संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख आइटम्स में बोलीदाता फर्म द्वारा दरें अंकित की जाएंगी।

20/2/20

निर्धारित समय अवधि के बाद जो कि क्रय आदेश में वर्णित होगी, कार्य पूर्ण न होने पर GF&AR भाग द्वितीय के नियम – 58 के अन्तर्गत पेनल्टी प्रावधान आरोपित होगा।

11. बोली दाताओं द्वारा आईटम शोर्ट अथवा डिफेक्टिव आपूर्ति करने अथवा विहित (विशिष्टताओं से भिन्न) Specification के अनुसार आपूर्ति नही करने पर कार्य open market अथवा L2 फर्म से करवाया जावेगा जिसकी वसूली न्यूनतम निविदादाता से की जाएगी।
12. कार्यादेश दिए जाने पर कोटेशन के लिए अनुरोध प्रपत्र तथा विभाग एवं सप्लायर के मध्य होने वाले समस्त पत्र–व्यवहार दोनों पक्षों के बीच Agreement माने जाएँगें।
13. सप्लायर के बिल का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात कोषालय के माध्यम से On line खाते में किया जावेगा।
14. बोली स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी न्यूनतम बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बोली को या उसके किसी अंश को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का सर्वाधिकार संस्थान को होगा।
15. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी। बोली की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम –2013 के अध्यधीन होंगी।
16. संदर्भित RTPP Rule – 2013 तथा GF&AR के नियम वित्त विभाग की वेबसाइट www.financerajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
17. वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
18. बजट मद कार्यालय व्यय 2210–05–105–01–28(05) होगा।

(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः प.32/( )/क्रय–1/कोटेशन के लिए अनुरोध–04/2019–20/ 759 दिनांकः 20/2/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
2. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय भण्डार / ...., चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
3. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा को विभागीय वेबसाइट एवं स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. कम्प्यूटर अनुभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा को विभागीय वेबसाइट एवं स्टेट पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी – प्रथम स्टेट पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा/केशियर मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. नोटिस बोर्ड, प्रशासनिक भवन, एम.बी.एस.चिकित्सालय, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, नवीन चिकित्सालय, कोटा।
8. ~~मैसर्स~~ विभाग .... विभाग चि.म. कोटा

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दूरभाष नम्बर 0744–2470674 फेक्स नम्बर 0744–2471157
web:http://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota
e-mail: principalmck@gmail.com

IT